न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00154 (230/2011) 223 आरटीएक्ट

भादरराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी भोजपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. वन विभाग जरिये उप संरक्षक हनुमानगढ़।
2. अधिशाषी अभियन्ता रावतसर जल संसाधन खण्ड रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ़। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2011 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़।
प्रकरण संख्या 118/2008

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3

निर्णय दिनांक :– 13.06.2019

1. अपीलाण्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि 2.708 है. भूमि वादी की खातेदारी कृषि भूमि में नाजायज दखलअंदाजी ना करें व भूमि में स्थिति पेड़ों व काश्तशुदा फसल को नुकसान न पहुंचाऐं। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के वाद पर यह आदेश दिया कि वन विभाग प्रश्नगत भूमि में उनके द्वारा लगाये गये तथा वर्तमान में परिपक्व 26 पेड़ों को तुरंत हटा लेवें वादी भादरराम वन विभाग के लगाये गये इन 26 पेड़ों पर किसी की अधिकारिता नहीं रखता तथा न ही पेड़ों की नम्बरिंग तथा हटाने की प्रक्रिया मे विध्न/दखलअंदाजी करेगा। वन विभाग वादी को 1 बिस्वा के लिए 100/– रू0 प्रतिवर्ष की दर से वृक्षारोपण की दिनांक से निर्णय की दिनांक तक का अदा करेगा। सीमा के संबंध में तहसीलदार हनुमानगढ वादी व वन विभाग को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करेगा। इस निर्णय व डिक्री व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदार भूमि चक 20 ए.जी. के मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 5, 6 में से आनंदगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माईनर निकलती है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि एवं माईनर के बीच में 55 फिट चौड़ाई की भूमि नहर बाउण्डरी की है। उसके पश्चात् अपीलाण्ट की भूमि शुरू हो जाती है। नहर की भूमि में सिंचाई विभाग द्वारा पौधारोपण किया गया है जो बाद में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वन विभाग को सौंप दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 26 पेड़ अपीलाण्ट की भूमि में स्थित होना माना है परन्तु पेड़ों का आधीपत्य वन विभाग का गलत रूप से मानते हुए 100/–रू0 प्रतिवर्ष प्रतिबिश्वा की दर से मुआवजा देने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं हुआ है। अपीलाण्ट की भूमि में किसी के द्वारा वृक्षारोपण कर देने से पेड़ वन विभाग के नहीं माने जा सकते। वन विभाग को पेड़ों पर आधीपत्य बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वृक्षारोपण अपीलाण्ट द्वारा किया गया है इसलिए वृक्षों पर अपीलाण्ट का आधीपत्य है। 21. फरवरी.1994 की अधीसूचना अपीलाण्ट के प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1974 पेज 119, आरआरडी 1992 पेज 636 व आरआरडी 1979 पेज 560 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 20 एजी से आनंदगढ माईनर निकली है तथा नहर की चौड़ाई अलग अलग स्थानो पर अलग अलग है। जिसका साइट प्लान पत्रावली पर उपलब्ध है। नहर की सीमा से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है एवं नहर की सीमा में स्थिति भूमि को वृक्षा रोपण हेतु वन विभाग को नोटिफिकेशन 1993 से हस्तान्तरित की गई है। वन विभाग को प्रश्नगत भूमि पर लगाए गऐ पड़ों में पूर्णतया अधिकार है। वादी का इन पेड़ों पर कोई दखल नहीं है। इसलिए अपील अपीलाण्ट गजट नोटिफिकेशन 21 फरवरी 1994 के आधार पर पोषणीय नहीं है इसलिए अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय सुप्रिम कोर्ट के रिट पिटिशन टी.एन. गोडवर्मन तिरूमलकप्ड बनाम भारत सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने कथन किया कि राज्य पक्ष को सुरक्षित रखते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम किये हैं और तनकीवार निर्णय किया है जिसमें खातेदार की खातेदारी भूमि के संबंध में यह मानते हुए कि नहर की चौड़ाई से 55 फिट की दूरी के बाद की संपूर्ण भूमि खातेदार की भूमि है। जिस समय नहर निकाली गई उस समय खातेदारो की भुमि को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया था। और उसका मुआवजा दिया गया था। नहर की चौडाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। खातेदार की भुमि का सीमाज्ञान नही किया गया कि खातेदार के पास खातें में जो भुमि है। वो कम है या नहीं है। मात्र नहर की सीमा को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आधार मानते हुए निर्णय किया गया है। जिस समय अधिग्रहण किया गया उस समय सीमांकण करते हुए नहर की सीमा निर्धारित की गई और उसी अनुसार वृक्षारोपण किया गया। पत्रावली में जो राज्य सरकार का नोटिफकेशन 21 फरवरी 1994 पेश किया गया है उसके अनुसार नहर के दोनों तरफ की भू–पट्टी को रक्षित वन (Protected Forest.) घोषित करते हुए वन विभाग को स्थानांतरित की गई है एवं इस भूमि के प्रबंधन/वनविकास आदि की संपूर्ण भूमि वन विभाग को स्थानांतरित की गई है। जिस पर वन भूमि से संबंधित संपूर्ण नियम/अधिनियम लागू होते हैं एवं उसकी व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जानी होती है। यहां ये उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी कि मुख्य कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी/माईनर के मूल वाटर चैनल के साथ–साथ दोनों तरफ चौड़ी पट्टी के रूप में भूमि राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अधिग्रहित कर सभी खातेदारों को उसके बदले में मुआवजा भुगतान किया गया है। इन नहरों के लिए जो भूमियॉं अधिग्रहित की गई उन पर मैन वाटर चैनल के दोनों तरफ की भूमि पर सिंचाई विभाग एवं वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की कार्यवाही की गई जैसा कि वन विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। मौके पर नहर की चौड़ाई अलग–अलग स्थानों पर अलग अलग है और नहर के दोनों तरफ उपलब्ध नहर की सीमा की भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। इस वृक्षारोपण के सभी पेड़ एक जैसी स्थिति में हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये वन विभाग द्वारा एक ही समय में वृक्षारोपण किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खातेदार की खातेदारी भूमि के बाद बची हुई नहर की पटटी की भूमि में प्लांटेशन किया गया है। क्योंकि इस वृक्षारोपण के संबंध में संबंधित खातेदार द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर करने संबंधी तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। यदि भूमि खातेदार की थी तो वृक्षारोपण के समय खातेदार द्वारा आपत्ति की गई होती।

8. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वन एवं वृक्षारोपण विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचनाऐं जारी कर वन भूमि, चारागाह भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि तथा ऐसी अन्य भूमियां जिन पर वन विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है इन भूमियों पर किये गये वृक्षारोपण को वन क्षेत्र घोषित किया गया है। जिन पर किये गये वृक्षारोपण का संपूर्ण प्रबंधन आदि का कार्य वन विभाग के अधीन किया गया है। ऐसी स्थिति में नहर के दोनों ओर किये गये वृक्षारोपण को भी उसी श्रेणी में होना मानते हुए सरकार द्वारा उपरोक्त अधीसूचना को जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से यह तो पूर्णत स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भू भाग पर किया गया वृक्षारोपण वन विभाग/सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया है और यहां वन विभाग की अधीसूचनाओं से प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में मानते हुए इस वृक्षारोपण पर वन क्षेत्र से संबंधित अधिनियम एवं नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधान लागू होते हैं। इस तरह के किये गये वृक्षारोपण जिसे सरकार द्वारा वनों के अधीन वृक्षारोपण घोषित कर दिया गया है। ऐसे वृक्षों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेड़ों के संबंध में दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

गये प्रावधानों के अनुसार विनिश्चित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वन के संबंध में जारी किये गये निर्देश वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार ओवर राइडिंग इफेक्ट रखते हैं। इसके अलावा प्रतिवादीगण के वकील की और से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे ऐसे क्षेत्र चिन्हित करें जहाँ पर सरकार एवं प्राईवेट व्यक्तियों की भूमियों में वृक्षारोपण किये गये हैं। माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा अपने उक्त निर्णय में राज्य सरकारों को वन क्षेत्र की परिभाषा को अभिवर्धित कर सरकारी व अन्य तरह के वृक्षारोपण को वन क्षेत्र में समाहित करने के निर्देश दिये हैं। वर्तमान प्रकरण से संबंधत वृक्षारोपण को तो सरकार द्वारा वनक्षेत्र घोषित किया हो जा चुका है और इस पर वनों से संबंधित नियम ही लागू होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया गया है उसमें इन सब तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2011 खारिज किया जाता एवं विवादग्रस्त वृक्षारोपण वन विभाग के क्षेत्राधिकार का होने के कारण वह इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है जिसे किसी प्रकार से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। इसके बदले में वृक्षारोपण का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official